

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम,
सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग,
मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग,
सभी अधीक्षण अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग,
सभी कार्यपालक अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग,
सभी वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग,
कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग,पटना
स्थानिक अभियंता, बिहार निवास, 15-चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

पटना,दिनांक- 6/2/18

विषय:- दिनांक 07.02.2018 को आयोजित होने वाली विभागीय समीक्षात्मक बैठक के स्थल परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-920(भ0) दिनांक-30.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक-07.02.2018 को आयोजित होने वाली विभागीय समीक्षात्मक बैठक के आयोजन स्थल में परिवर्तन किया गया है। अब यह बैठक विश्वेश्वरेया भवन स्थित सभागार के बदले गांधी मैदान के नजदीक ज्ञान भवन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।

सभी कार्यपालक अभियंता को यह निदेश दिया जाता है कि 5(पाँच) करोड़ और उससे अधिक की योजनाओं में संबंधित संवेदकों का बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

6/2/18
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 1160(न)

पटना,दिनांक: 6/2/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक-

1160 (ग)

पटना,दिनांक:

6/2/18

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव/ उपसचिव/ निदेशक,अनुश्रवण सह मूल्यांकन सह क्रय कोषांग/
उपनिदेशक-1,2/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/भू-सम्पदा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट
शाखा/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान
सचिव के प्रधान आप्त सचिव,भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Levy
6/2/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक-

1160 (ग)

पटना,दिनांक:

6/2/18

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर,भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

Levy
6/2/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव